



वर्षांत समीक्षा- 2017:ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

Posted On: 22 DEC 2017 10:09AM by PIB Delhi

दिनांक 1 अप्रैल 2016 से पूर्ववर्ती योजना की प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के रूप में पुनर्संरचना की गई है एवं यह सरकार के बेहतर वास्तुशिल्प और सुपुर्दगी एवं निगरानी तंत्र के साथ सभी को '2022 तक आवास' के संकल्प के अनुरूप है।

वर्ष 2017-18 के दौरान उपलब्धियां/ पहल:

- मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण भारत में समतल क्षेत्रों में प्रति एकक 1.20 लाख रुपये एवं दुर्गम क्षेत्रों/पहाड़ी राज्यों/ आईएपी जिलों में 1.30 लाख रुपये की सहायता से वर्ष 2018-19 तक 1 करोड़ आवासों का निर्माण करना चाहता है। आवास निर्माण में सहायता के अतिरिक्त लाभान्वितशौचालय निर्माण के लिये 12000 रुपये एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अनुरूप 90/95 दिन का अप्रशिक्षित श्रम पाने का पात्र भी होंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-18 में राज्यों को आवंटित 75.88 लाख आवासों के लक्ष्य के निमित्त 71.01 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 63.72 लाख आवास भू-चिह्नितकिये जा चुके हैं। 58.58 लाख लाभार्थियों को अपने आवास के लिये स्वीकृति मिल चुकी है, इनमें से 53.20 लाख एवं 34.44 लाख लाभार्थियों को दिनांक 14.12.2017 तक क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय किशत प्राप्त हो चुकी है एवं योजना के तहत 11.57 लाख आवास अब तक पूर्ण हो चुके हैं।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग ने वर्तमान आवासीय स्थिति के सत्यापन से यह सुनिश्चित किया है कि संसाधनों का नियोजन असली लाभार्थी तक हो।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत आवासों की स्वीकृति हेतु मोबाइल अनुप्रयोग मसलन आवास एप के जरिये लाभार्थियों के लिये अपने मौजूदा आवास के समक्ष भू-चिह्नित एवं समयांकित फोटोग्राफ अपलोड करना अनिवार्य बनाया गया है।
- यह प्रस्तावित किया गया है कि मकान बनाने वाले 20000 ग्रामीणों को वित्त वर्ष 2017-18 की प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत प्रशिक्षित एवं सत्यापित किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम (मनरेगा)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्त वर्ष में न्यूनतम एस सौ दिनों का तयशुदा रोजगार देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन मनरेगा के तहत अब तक का सर्वाधिक आवंटन है।
- वर्ष 2017-18 में अब तक 4.35 करोड़ घरों को 156 लाख कार्यों में रोजगार प्रदान किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में 160 करोड़ दिन का रोजगार सृजित हुआ है। कुल रोजगार में से 54% रोजगार महिलाओं के लिये सृजित हुआ है जो वैधानिक तौर पर आवश्यक 33% से बहुत अधिक है।
- वर्ष 2017-18 में अब तक कुल व्यय का तकरीबन 60% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कार्यों (एनआरएम) में हुआ है। वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के कामकाज में व्यय 71% है, जो कि वर्ष 2013-14 में लगभग मात्र 48% था।
- वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि एवं इससे जुड़ी गतिविधियों पर लगभग 71% व्यय किया गया है, जिससे इस क्षेत्र पर दिए गए जोरको देखा जा सकता है। मिशन जल संरक्षण के तहत पानी की कमी से जूझ रहे 2264 ब्लॉक पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जल संचयन एवं जल संरक्षण समेत विशेष ध्यान दिया गया है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक 3.6 लाख तलैया एवं 1.55 लाख वर्मी/ एनएडीईपी खाद के गड्डे तैयार किये गए हैं।
- 96% मेहनताना मनरेगा मजदूरों के बैंक/ पोस्ट ऑफिस खातों में एनईएफएमएस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर तरीकों से दिया जाता है।
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जियो-मनरेगा के अंतर्गत 2 करोड़ सम्पत्तियां भू-चिह्नित की जा चुकी हैं एवं आमजन के समक्ष उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।
- सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना- 2011 के अनुसार 5.40 करोड़ घर भूमिहीन घरों की श्रेणी में आते हैं, जो अपने जीविकोपार्जन के लिये अनियत श्रम पर निर्भर हैं। सरकार इन घरों को, जिनके पास जॉब कार्ड नहीं हैं एवं वे इच्छुक हैं, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने के लिये काफी प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य हर मौसम के अनुकूल सड़कों का निर्माण कर सम्पर्क स्थापित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत खेत से बाजार तक सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिये उन्नयन-घटक भी है, जिसमें मौजूदा ग्रामीण सड़कों के बेहतरीकरण का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II का उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण द्वारा निर्धनता निवारण की सम्पूर्ण रणनीति में ग्रामीण-हब एवं वृद्धि-केंद्रों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। वृद्धि केंद्र/ ग्रामीण-हब बाजार, बैंकिंग एवं अन्य सेवा संबंधी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं जिनसे स्वरोजगार एवं जीविकोपार्जन के अवसर पनपते हैं।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने दूरस्थ एवं छितराए हुए क्षेत्रों को जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कुल 1,78,184 वैध बसावटों में से 1,45,158 बसावटें जोड़ी जा चुकी हैं, जिससे कुल जोड़ी हुई बसावटें 82% हो चुकी हैं।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान (अक्टूबर 2017 तक) 5,08,047.22 किलोमीटर लंबी सड़क का कार्य 1,63,059.16 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा हो चुका है।
- वर्ष 2017-18 के दौरान (अप्रैल से अक्टूबर, 2017) 4817 बसावटों को कवर करते हुए 17330 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा चुका है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने बची हुई बसावटों को जोड़ने के प्रस्ताव को भी अनुमति प्रदान कर दी है एवं मार्च, 2019 तक तकरीबन 100% सम्पर्क हासिल कर लिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान (अक्टूबर 2017 तक) 1,47,984.88 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III के अंतर्गत 1.07 लाख किलोमीटर का सड़क बेहतरीकरण प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु केंद्र सरकार 19000 करोड़ की वार्षिक धनराशि वर्ष 2022 तक बनाए रखेगी।
- इसके अतिरिक्त 9 राज्यों में वापस उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की बसावटों में 5382 किलोमीटर सड़क-निर्माण के लक्ष्य के साथ सम्पर्क स्थापित करने का बीड़ा भी उठाया गया है। यह परियोजना वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी एवं इसके मार्च, 2020 तक पूरा होने की आशा है।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में अपारम्परिक सामग्रियों जैसे बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाई एश, तांबे एवं लोहे का

धातुमल इत्यादिका उपयोग किया जा रहा है एवं हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत तय कुल सड़कों की 15% सड़कों का निर्माण नवीन हरित प्रौद्योगिकी के जरिये किया जा रहा है, जैसे बेकार प्लास्टिक, कोल्ड-मिक्स, फ्लाई एश, तांबे एवं लोहे का धातुमल इत्यादि।
- शासन-प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के लिये, साथ ही कमियां दूर करने एवं नागरिकों की शिकायतों के तुरंत निवारण के लिये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल तकनीक एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दे रही है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता एवं निर्माण की गति के संबंध में नागरिक शिकायतों के पंजीकरण के लिये “मेरी सड़क” नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई ।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II का उद्देश्य मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों का बेहतरीकरण कर सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के मापदंड पर आधारित है । अब तक 12 राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-II तक पहुंच चुके हैं, जिसके अंतर्गत 25,791.56 किलोमीटर सड़क उन्नयन (अक्टूबर, 2017 तक) कवर करते हुए 3,738 कार्यों को पहले ही हरी झंडी दी जा चुकी है । राज्यों ने 11,798.85 किलोमीटर लंबाई की सड़क का बेहतरीकरण कर 1459 कार्य पूर्ण किये हैं ।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पांच उपयोजनाएं शामिल हैं- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं अन्नपूर्णा योजना। राज्यों के सामाजिक कल्याण विभागों द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किये गए हैं ।

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2.40 करोड़ वृद्ध पेंशनरों, 70.43 लाख विधवा पेंशनरों एवं 10.32 लाख विकलांग पेंशनरों समेत कुल 3.20 करोड़ लाभार्थियों को कवर करता है ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम डीबीटी योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं मौजूदा वर्ष में गुजरात एवं केंद्र शासित लक्षद्वीप डीबीटी के माध्यम से 100% ट्रांसफर का प्रयोग कर रहे हैं । डीबीटी का आंशिक क्रियान्वयन झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में किया गया है ।
- अनभिप्रेत लाभार्थी तक धन की पहुंच रोकने के लिये रिकॉर्ड्स को 100% डिजिटलकरण कर दिया गया है ।
- 74.08% लाभार्थियों के आधार कार्ड बैंक खातों से जोड़ दिये गए हैं ।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नवीनीकरण कर प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना करने का प्रस्ताव है जिसकी पहुंच 5.07 करोड़ लाभार्थियों तक होगी ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य 8-9 करोड़ ग्रामीण निर्धन घरों तक पहुंचकर हर घर से एक महिला को लेकर गांव एवं उच्चतर स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों एवं संघों का निर्माण करना है ।

प्रगति:

- वर्ष 2017-18 के दौरान (अक्टूबर, 2017 तक), कार्यक्रम की तीव्र क्रियान्वयन नीति के तहत 683 अतिरिक्त ब्लॉक कवर किये गए हैं, जिनसे कुल ब्लॉक की संख्या 4330 हो जाती है ।
- वर्ष 2017-18 के दौरान अब तक, 56 लाख से अधिक घर 4.84 लाख स्वयं सहायता समूहों में जुटाए गए हैं ।
- एसएचजी को 729.74 करोड़ की वित्तीय सहायता भी दी गई है ।
- वर्ष 2017-18 में अब तक 35410.42 लाख रुपये की कुल धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में 2.84 लाख स्वयं सहायता समूहों को वितरित की गई है, जबकि 53599 लाख रुपये बतौर सामुदायिक निवेश निधि 1.01 लाख स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों को वितरित किये गए हैं ।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के बैंकों से जुड़ाव कार्यक्रम ने वर्ष दर वर्ष अभूतपूर्व प्रगति की है । वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान अक्टूबर तक 14.2 लाख स्वयं सहायता समूहों को 18000 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है ।
- महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत 17 राज्यों में 33 लाख से अधिक महिला किसानों को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाने एवं कृषि आधारित आजीविका में उनकी भागीदारी एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिये कवर किया गया है ।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जीविकोपार्जन का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिये “आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना” प्रारंभ की गई, जिसमें सुरक्षित, सस्ता एवं सामुदायिक निगरानी वाला ग्रामीण परिवहन (ई-रिक्शा, तीन एवं चार पहियों वाले मोटर-चालित वाहन) उपलब्ध कराने के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं की शुरुआत की गई ताकि दूरस्थ गांवों को प्रमुख सेवाओं एवं सुविधाओं (बाजारों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी ढांचे) से जोड़ा जा सके और दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के फ्रेमवर्क में मौजूद मदद के अंतर्गत क्षेत्र का सम्पूर्ण आर्थिक विकास हो सके । उपयोजना पायलट आधार पर तीन वर्ष के लिये 2017-18 से 2019-20 तक देश के 250 ब्लॉक में क्रियान्वित की जाएगी । अभी तक 17 राज्यों से प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 153 वाहनों ने काम करना शुरू कर दिया है ।
- **ग्रामीण उद्यम को प्रोत्साहन**-स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता योजना (एसवीईपी)-दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ही उपयोजना है जिसको स्थानीय स्तर पर उद्यमिता चुनने के लिये ग्रामीण युवाओं की मदद के लिये बनाया गया है । अब तक 17 राज्यों में 7800 उद्यम प्रोत्साहन का लाभ पा चुके हैं । ऐसी आशा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान योजना से 25000 अतिरिक्त उद्यमियों को मदद मिलेगी ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नियुक्ति से जुड़ा हुआ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है एवं गांवों के निर्धन युवाओं को रोजगारपरक कौशल से सशक्त बनाने एवं नियमित श्रम बाजार में उनकी भागीदारी का अवसर प्रदान करने का माध्यम है । फिलहाल यह 28 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

प्रगति:

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में 39 क्षेत्रों में 329 से अधिक तरह की नौकरियों के साथ प्रशिक्षण देने वाली 310 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से भागीदारी के साथ 674 परियोजनाओं में 566 से भी अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं ।
- मौजूदा वित्त वर्ष में 2 लाख अभ्यर्थियों को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य के निमित्त, 83,745 उम्मीदवारों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 46,654 से अधिक उम्मीदवार दिनांक 31.10.17 तक नियुक्त हो चुके हैं ।
- मंत्रालय ने 12 नये चैम्पियन रोजगार-प्रदाता चयनित किये हैं और उनके साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं नियुक्ति के लिये समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं ।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान-वर्तमान में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान 56 पेशों में प्रशिक्षण दे रहा है जिनमें कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण एवं सामान्य ईडीपी शामिल है ।

पहलः

- वर्ष 2017-18 के दौरान 31.10.17 तक, 7897 उम्मीदवार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट लाइफ मनरेगा के अंतर्गत प्रशिक्षण पा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यक्रमों के तहत 9,200 उम्मीदवार क्रेडिट-लिंक किये गए हैं, जबकि 3,519 उम्मीदवार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पीएम मुद्रा योजना से क्रेडिट-लिंक किये गए हैं।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस संस्थानों द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये उद्यमिता विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिये एसोचैम द्वारा “कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन” चयनित हुआ।
- एक अन्य पहल “कौशल पंजी” की शुरुआत भी की गई जो ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों एवं डीडीयू-जीकेवाई हेतु उम्मीदवारों को अवसर देने के लिये एक नागरिक-केंद्रित समाधानमुहैया कराता है।

प्रगतिः

- देश भर में 586 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में 25.24 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षण पा रहे हैं, जिनमें से लगभग 16.64 लाख (1.4.2008 से लेकर 30.11.2017 तक) अपने जीवन में व्यवस्थित हो चुके हैं।
- वित्त वर्ष 2017-18 में 3.97 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करने के लक्ष्य के निमित्त, 2,34,692 उम्मीदवार प्रशिक्षण पा चुके हैं एवं 1,55,174 अपने जीवन में व्यवस्थित हो चुके हैं।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन

सरकार ने 16 सितम्बर, 2015 को 5142.08 करोड़ की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं प्रत्यक्ष तौर पर टिकाऊ स्थान बनाने के उद्देश्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी-ग्रामीण मिशन को स्वीकृति दी। इस मिशन के अंतर्गत 29 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित विकास की संभावनाएं समेटे 300 सघन ग्रामीण बसावटों की पहचान की जानी है, जिनमें कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट कार्य-पद्धतियों के माध्यम से विकास किया जाना है।

- कुल 300 सघन ग्रामीण बसावटों के निमित्त, 267 बसावटों की पहचान निर्धारित सघन बसावट चयन पद्धति के माध्यम से पहले ही कर ली गई है। तीन वर्ष की अवधि के भीतर सघन बसावटों की आधारभूत, सामाजिक एवं डिजिटल अवसंरचना का विकास करने के अलावा उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने एवं इसके लिये आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर रहेगा।
- 153 समेकित क्लस्टर एक्शन प्लान**, जो कि हर सघन बसावट में होने वाले निवेश का खाका है, को 29 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- निर्धारित सघन बसावट में कार्य जारी है एवं मिशन में आज तक तकरीबन 1500 करोड़ का व्यय हो चुका है।
- मिशन की अवधि की समाप्ति तक देश के पास 300 शहरी सघन ग्रामीण बसावटें होंगी जो ओडीएफ, हरित, कृषि आधारित एवं कौशल युक्त कार्यशक्ति से लैस एवं आर्थिक अवसरों से भरपूर होंगी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

- देश के सभी भागों में मॉडल ग्राम पंचायतों के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम पंचायतों का विकास माननीय संसद सदस्यों की देखरेख में मौजूदा सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्मिलन एवं क्रियान्वयन से किसी अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के बगैर होता है।
- माननीय संसद सदस्यों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 18 दिसम्बर 2017 तक 1241 ग्राम पंचायतों को गोद ले लिया था। शुरुआती कदम के तौर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायतें जागरूकता लाती और सामाजिक लामबंदी संबंधी गतिविधियां चलाती हैं। इसके बाद माननीय सांसद महोदय के दिशानिर्देश में किसी गांव की विकास योजना के लिये बेसलाइन सर्वे एवं सहभागिता संरूपण किया जाता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतें प्राथमिकता से समयबद्ध गतिविधियों से युक्त गांव के विकास की योजना बनाती हैं, जिससे संसाधनों से सम्मिलन से गांव के विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद ली गई 1241 ग्राम पंचायतों में से 857 ग्राम पंचायतों ने योजना की वेबसाइट पर अपने गांव के विकास की योजना अपलोड कर दी है। वेबसाइट पर दिनांक 18 दिसम्बर तक किये गए आंकड़ों के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत तय ग्राम पंचायतों ने 19951 परियोजनाओं को पूरा कर लिया है एवं 7152 (15.3%) परियोजनाओं का कामकाज जारी है।

<><><><><><><>

वीएल/एबी/पीकेए/सीएल/एमएस - 6096

(Release ID: 1514019) Visitor Counter : 946

